

F 78:- 52947

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं. 01, सैक्टर नॉलेज पार्क-04,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांक : ग्रेनो/बिल्डर्स/2024/1226
दिनांक : 01 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 106वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2016 में अनुमोदित प्रस्ताव के उपरान्त जारी कार्यालय आदेश संख्या ग्रेनो/बिल्डर्स/का0आ0/2018/1385 दिनांक 17.07.2018 में व्यवस्था है कि कार्यपूर्ति की तिथि/सब लीजडीड की अनुमति की तिथि से कार्यपूर्ति प्राप्त यूनिट्स की सब लीजडीड एक वर्ष तक निशुल्क निष्पादित कराई जाती हैं, इसके उपरान्त 100 वर्गमीटर से कम भवनों पर रू0 50/- प्रतिदिन तथा 100 वर्गमीटर से अधिक भवनों पर रू0 100/- प्रतिदिन की दर से विलम्बशुल्क आरोपित होता है।

कतिपय प्रकरणों में जमा धनराशि के अनुपात में कार्यपूर्ति प्राप्त यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स की सब लीजडीड की अनुमति, एक वर्ष तक निशुल्क उसके उपरान्त उपरोक्तानुसार विलम्बशुल्क के साथ, प्रदान की गई थी, जिसको एक वर्ष से अधिक अवधि का समय हो चुका है। अब आवंटी के अनुरोध पर शासनादेश संख्या 7774/77-4-2023-6011/2023 दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से पुरानी रूकी हुई भू-सम्पदा परियोजनाओं (लिंगेसी स्टॉल्ड रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट्स) हेतु लाई गई नीति/पैकेज के अंतर्गत जमा की गई नेट ड्यूज की 25 प्रतिशत धनराशि के समायोजन उपरान्त जमा धनराशि के अनुपात में कार्यपूर्ति प्राप्त सब लीजडीड हेतु अवशेष यूनिट्स की सब लीजडीड अनुमति प्रदान की गई है। चूंकि पूर्व में सब लीजडीड की अनुमति/कार्यपूर्ति प्राप्त किये हुए एक वर्ष से अधिक अवधि का समय हो चुका है अतः वर्तमान में जितनी यूनिट्स की सब लीजडीड की अनुमति प्रदान की गई है, उन सभी यूनिट्स पर उपरोक्तानुसार विलम्बशुल्क आरोपित हो रहा है, जिसमें होम बायर्स की कोई गलती नहीं है।

इसी क्रम पुरानी रूकी हुई भू-सम्पदा परियोजनाओं (लिंगेसी स्टॉल्ड रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट्स) में करीब 40 ऐसी परियोजनाएँ हैं, जिनमें आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (OC/CC) पूर्व में प्राप्त हो चुका है, किन्तु देयों का भुगतान न होने के कारण संबंधित परियोजनाओं में सब लीजडीड की अनुमति नहीं दी जा रही है। इन परियोजनाओं के होम बायर्स को आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (OC/CC) प्राप्त होने की तिथि से 01 वर्ष के उपरान्त से प्रतिदिन रू0 100/- का विलम्बशुल्क देना पड़ रहा है, जिस वित्तीय भार के कारण ऐसी परियोजनाओं के होम बायर्स द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है। अब वर्तमान में क्योंकि करीब 48 परियोजनाओं में 25 प्रतिशत देयों का भुगतान हो गया है। अतः उपरोक्त तरह के प्रकरणों में बोर्ड के निर्णय से 06 माह तक उक्त विलम्बशुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.06.2024 के मद संख्या 135/04 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके क्रम में मा0 बोर्ड द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

“मा0 संचालक मण्डल द्वारा यह संज्ञान में लिया गया कि ड्यूज की वजह से रजिस्ट्री की अनुमति प्राधिकरण द्वारा निर्गत नहीं की गई, अतः बिन्दु संख्या 03 पर निर्देश दिये कि होम बायर्स के हित में 06 माह हेतु लीजडीड विलम्बशुल्क में छूट प्रदान की जाये, जिससे अधिक से अधिक होम बायर्स की रजिस्ट्रियाँ सम्पादित कराई जा सकें।”

अतः उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में **समस्त प्रकरणों में** प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय की तिथि दिनांक 22.07.2024 से 06 माह के अंदर सब लीजडीड निष्पादित कराने की शर्त के साथ उक्त विलम्बशुल्क में छूट प्रदान की जाती है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

(सौम्य श्रीवास्तव)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- सभी विभागाध्यक्ष ()
- प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

2/8/24